पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16611/2021

==

वेटेरेन्स फॉरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ इसके महाासचिव अर्थात विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) विश्वनाथ प्रसाद सिंह, उम्र लगभग 71 वर्ष, पुरुष, पे. स्वर्गीय आर. एन. सिंह, साकिन- पी. एन. टी. कॉलोनी संख्या 2, दहियावां, छापरा, थाना-छापरा, जिला-सारण के द्वारा।

.........................याचिकाकर्ता

बनाम्

1. बिहार राज्य मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के द्वारा
2. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. तीन सदस्यीय चयन समिति अध्यक्ष, मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना के द्वारा।
6. सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार सरकार, पटना।
7. सरकार के विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
8. विद्यानंद विकल, पे. स्वर्गीय रघुबीर राम, सा.- ग्राम- खानेत, पो.- पंवार, थाना-पावना, जिला- भोजपुर।

...........उत्तरदातागण

==

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम्, 2013 - धारा 16(3)

बिहार राज्य खाद्य आयोग नियमावली, 2014 - नियम् 5

जनहित याचिका जिसके द्वारा 8वें प्रतिवादी की बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष के रुप में नियुक्ति को चुनौती दी गयी है।

निर्णित किया गया कि 8वें प्रतिवादी के मात्र राजनेता होना उसे आयोग्य नहीं बनाता है। फिर निर्णित किया गया कि भारत संघ बनाम नमिता शर्मा;(2013)10 एस.सी.सी. केवल सांसद एवं विधायक को इस तरह का पद धारण करने से प्रतिबंधित करता है जब वह सदन के सदस्य हों। केवल इस कारण कि 8वें प्रतिवादी का आत्मवृत विभाग को नियुक्त से पहले भेजा जा चुका था, उन्हें आयोग नहीं बनाता। फिर निर्णित किया गया कि कानून में इस नियुक्ति के लिये सार्वजनिक विज्ञापन का अधिदेश नहीं है।

जनहित याचिका को अस्वीकार किया गया।

[पारा 3,9,10,11,12,13 और 14]

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 16611/2021

==

वेटेरेन्स फॉरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ इसके महासचिव अर्थात विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) विश्वनाथ प्रसाद सिंह, उम्र लगभग 71 वर्ष, पुरुष, पे. स्वर्गीय आर. एन. सिंह, साकिन- पी. एन. टी. कॉलोनी संख्या 2, दहियावां, छापरा, थाना-छापरा, जिला-सारण के द्वारा।

.........................याचिकाकर्ता

बनाम्

1. बिहार राज्य मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के द्वारा
2. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. तीन सदस्यीय चयन समिति अध्यक्ष, मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना के द्वारा।
6. सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार सरकार, पटना।
7. सरकार के विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
8. विद्यानंद विकल, पे. स्वर्गीय रघुबीर राम, सा.- ग्राम- खानेत, पो.- पंवार, थाना-पावना, जिला- भोजपुर।

...........उत्तरदातागण

==

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता की ओर सेः श्री दीनू कुमार, अधिवक्ता, सुश्री रितिका रानी, अधिवक्ता, श्री रितु राज, अधिवक्ता

उत्तरदातागण की ओर सेः श्री एस. रजा अहमद, एएजी-5, श्री विशंभर प्रसाद, अपर महाधिवक्ता-5 के सहायक अधिवक्ता, श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता

==

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी

कैव निर्णय

(द्वाराः माननीय मुख्य न्यायाधीश)

दिनांकः 16-08-2023

उपरोक्त जनहित याचिका बिहार राज्य खाद्य आयोग (इसके बाद जिसे 'आयोग' के रूप में संदर्भित किया जायेगा) के अध्यक्ष के रूप में 8 वें प्रतिवादी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए दायर की गई है, क्वो वारंटों की रिट की मांग करता है।

2. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री दीनू कुमार और उत्तरदातागण-राज्य के विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री एस. रजा अहमद को सुना है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 8 वें प्रतिवादी की नियुक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 (3) और बिहार राज्य खाद्य

आयोग नियमाावली, 2014 के नियम 5 के विपरीत है। यह नियुक्ति बिना किसी सार्वजनिक विज्ञापन के की गई है और किए गए चयन में कोई भी पारदर्शिता नहीं है।यह तर्क दिया जाता है कि 8वां प्रतिवादी एक राजनेता है और उस पद पर नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं है जिसके लिए दलितों वंचिता को भोजन और पोषण प्रदान करने के मामले में कुछ विशेषज्ञता और अनुभव की आवश्यकता होती है।यह बताया गया है कि 8वें उत्तरदाता का आत्मवृत चयन शुरू होने से पहले ही प्राप्त हो गया था। 8वें उत्तरदाता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति विचाराधीन नहीं था। विद्वान अधिवक्ता **नमिता शर्मा बनाम भारत संघ; (2013) 1 एस. सी. सी. 745 और टेची तागी तारा बनाम राजेंद्र सिंह भंडारी और अन्य; (2018) 11 एस. सी. सी. 734,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर यह तर्क देने के लिए कि नियुक्ति उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों का पूरी तरह से उल्लंघन है, भरोसा किया।

4. दूसरी ओर, विद्वान सरकारी अधिवक्ता इन दलीलों पर गंभीर आपत्ति जताते हैं कि 8वां उत्तरदाता एक राजनेता है और इसलिए, इस पद पर नियुक्त होने के लिए अयोग्य है।8वें उत्तरदाता को सार्वजनिक मामलों में व्यापक अनुभव है और वह बिहार के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी थे और उनका लोक सेवा का एक लंबा इतिहास है, जो उन्हें इस पद के लिए तत्काल उपयुक्त बनाता है। वैधानिक रूप से गठित आयोग के पद पर नियुक्ति सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा नहीं होती है और इसलिए युक्त अनुशंसा हेतु एक चयन समिति नियुक्त की गई थी।चयन समिति ने विभिन्न विभागों से अनुशंसाएं मांगी थीं, जो सफल नहीं रहीं। यह उपरोक्त परिस्थिति में ही 8वें उत्तरदाता को को नियुक्त किया गया था जिसे दोषी नही ठहराया जा सकता है और उसके पास आयोग के अध्यक्ष के पद को संभालने के लिए आवश्यक अनुभव और विशेषज्ञता है।

5. दिनांक 06.04.2017 के अनुलग्नक-2 द्वारा एक चयन समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री थे, जिसमें

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव इसके सदस्य थे।19.06.2019 को पूर्व अध्यक्ष की मृत्यु के बाद अध्यक्ष का पद खाली हो गया था। 03.12.2019 को पद की अनुशंसा करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव; गृह (विशेष) विभाग; समाज कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग और मानवाधिकार आयोग को अनुलग्नक-6 पत्र जारी किया गया था। चयन समिति की अनुशंसा पर, अनुलग्नक-8 अधिसूचना जारी की गई थी जिसके द्वारा 8 वें उत्तरदाताको बिहार राज्य खाद्य आयोग नियमावली, 2014 की धारा 7 के तहत आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।यह बहुत स्पष्ट है कि विभिन्न विभागों से कोई सिफारिश नहीं की गई थी और उस परिस्थिति में, 8 वें उत्तरदाता को नियुक्त किया गया था।

6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में निर्धारित आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता इस प्रकार हैः

"16(3)(क) जो अखिल भारतीय सेवाओं या संघ या राज्य की किसी अन्य सिविल सेवा के सदस्य हैं या रहे हैं या संघ या राज्य के तहत सिविल पद पर हैं, जिन्हें कृषि, नागरिक आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य या किसी संबद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, नीति निर्माण और प्रशासन से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव है; या

(ख) कृषि, कानून, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य नीति या लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव के साथ सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्टता; या

(ग) जिनके पास गरीबों के खाद्य और पोषण अधिकारों में सुधार से संबंधित कार्य का सिद्ध रिकॉर्ड है।"

7. यह न्यायालय सरकारी अधिवक्ता के प्रस्तुतिकरण से पूरी तरह सहमत है कि याचिकाकर्ता के लिए 8 वें उत्तरदाता को एक राजनेता के रूप में वर्गीकृत करना उचित

नहीं है और इस प्रकार, केवल उसी कारण से, उसे आयोग के रूप में नियुक्त होने से अक्षम माना जाता है।

8. राज्य की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में विशेष रूप से सामाजिक कार्य, मानवाधिकार आदि में 8वें उत्तरदाता के अनुमत और बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के पद पर आसीन 8वें उत्तरदाता के अनुभव का उल्लेख किया गया है। पृष्ठ 76-77 पर प्रस्तुत 8वें उत्तरदाता का परिचय भी सामाजिक कार्य और सार्वजनिक मामलों में उसके विशाल अनुभव के बारे में बताता है।

9. याचिकाकर्ता ने चयन को चुनौती देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा किया है। **नमिता शर्मा** (उपरोक्त) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर चिंतित थीं।धारा 12 (5) के तहत मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त और धारा 15 (5) के तहत राज्य आयुक्तों को कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, मास मीडिया (संचार तंत्र) या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होना था।यह भी निर्धारित किया गया था कि वे संसद के सदस्य या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल के सदस्य नही होंगे।माननीय उच्चतम न्यायालय ने उठाए गए मुद्दे पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 12 (5) और 15 (5) संवैधानिक रूप से मान्य हैं, हालांकि, केवल 'ज्ञान और अनुभव' अभिव्यक्ति को पढ़ने से, संबंधित क्षेत्र में एक बुनियादी डिग्री और उसके बाद प्राप्त अनुभव और अर्थ का समावेश किया जा सकता है।हालाँकि, उक्त निर्णय की **भारत संघ बनाम नमिता शर्मा;** (2013) 10 एस. सी. सी. 359 मामले में समीक्षा की गई थी और प्रावधानों को बिना उपरिका के संवैधानिक रूप से वैध माना गया था और इसे पैराग्राफ 39.4 और 39.5 में ऐसा अभिनिर्धारित किया गया था, जो इस प्रकार हैंः

"39.4. हम आगे निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 12 (5) और 15 (5) में उल्लिखित सभी क्षेत्रों, अर्थात् कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, मास मीडिया (संचार तंत्र) या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समितियों द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों के रूप में नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 12 (3) और 15 (3) के तहत विचार किया जाए।

39.5. हम आगे निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 12 (3) और 15 (3) के तहत समितियों को मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जैसा भी मामला हो राष्ट्रपति या राज्यपाल को सिफारिशें करते समय, अनुशंसित प्रत्येक उम्मीदवार के नाम के सामने, सार्वजनिक जीवन में उनकी श्रेष्ठता, विशेष क्षेत्र में उनका ज्ञान और विशेष क्षेत्र में उनके अनुभव को इंगित करने के लिए तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए और नियुक्ति के बाद इन तथ्यों को अधिनियम के तहत उनके सूचना के अधिकार के हिस्से के रूप में नागरिकों के लिए सुलभ होने चाहिए।"

हालांकि सांसद और विधायक को अध्यक्ष नहीं बनाया जाना था, लेकिन यह घोषणा की गई थी कि प्रतिबंध केवल तब तक है जब तक कि ऐसे व्यक्ति, यदि नियुक्त किए जाते हैं, तो जन प्रतिनिधियों के सदनों में बने रहते हैं।यह 8वें प्रतिवादी के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के तर्क को तुरंत बंद कर देता है; कि वह एक राजनेता है।

10. **तेची तागी तारा** (ऊपरोक्त) एक बार फिर एक ऐसा मामला था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में व्यक्तियों की नियुक्ति पर विचार किया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वन और वन्यजीवों की सुरक्षा करना था।जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 (2) और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 5 (2) के तहत

राज्य बोर्ड के अध्यक्ष को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाला व्यक्ति या उपरोक्त मामलों से निपटने के लिए संस्थानों के प्रशासन में ज्ञान और अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना था।विद्वान न्यायाधीशों ने उच्चतम न्यायालय और विशेष रूप से मेनन समिति के कई निर्णयों पर गौर किया और अभिनिर्धारित किया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में विशेषज्ञ और पेशेवर नियुक्ति को 2021 एक पेशेवर निकाय पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित करने के उद्देश्य विविध कार्यो के लिए एक पेशेवर निकाय जिसमें विशेषज्ञ शामिल है विद्वान न्यायाधीशों ने राज्यों को एस. पी. सी. बी. की संस्थागत आवश्यकताओं और संविधि द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करते हुए छह महीने के भीतर उचित दिशा-निर्देश या भर्ती नियम बनाने का निर्देश दिया।

11. बार में उद्धृत निर्णय, हमारे अनुसार, 8 वें प्रतिवादी की नियुक्ति को निष्फल नहीं करते हैं, जिन्हें सार्वजनिक मामलों में व्यापक अनुभव है और नागरिकों के बीच दलितों और हाशिए पर पड़े लोगों से निपटने का व्यापक अनुभव है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यह राजनेता ही हैं जो जनता के बीच काम करते हैं और अक्सर नागरिकों द्वारा विधानमंडल और संसद में उनके प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं; उन्हें इस भूमि पर शासन करने का अधिकार देते हैं। एक राजनेता पर कोई अक्षमता नहीं पाई जा सकती है, विशेष रूप से तत्कालिक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं को देखते हुए।

12. जहाँ तक चयन प्रक्रिया का सवाल है, राज्य के जवाबी हलफनामे में विशेष रूप से विभिन्न विभागों से मांगी गई सिफारिशों का उल्लेख किया गया है। किसी भी विभाग से कोई अनुशंसा नही होने के संदर्भ में ही 8 वें उत्तरदाता को नियुक्त किया गया था। केवल यह तथ्य कि 8 वें उत्तरदाता का जैव-डेटा अनुशंसाओं के लिए बुलाने से पहले भी विभाग के पास उपलब्ध था, उसे अयोग्य नही ठहराता।

13. चयन समिति का गठन स्वयं 2017 में किया गया था और इसमें *पदेन* सदस्य हैं। वर्तमान अध्यक्ष की मृत्यु हो गई और आयोग में एक पद रिक्त हो गया।यह तथ्य कि 8 वें उत्तरदाता द्वारा संबंधित विभाग को एक परिचय साझा गया था, आवश्यक रूप से किसी भी अवैधता को सामने नहीं लाता है। यह तथ्य कि चयन में एकमात्र व्यक्ति 8 वां प्रत्यर्थी था, केवल संयोग से था और सार्वजनिक विज्ञापन करने के लिए राज्य पर कोई अधिदेश नहीं है, विशेष रूप से जब एक चयन समिति नियुक्त की गई थी जो उस तरीके को तैयार कर सकती थी जिसके द्वारा उपयुक्त व्यक्ति की खोज की जा सकती थी और सरकार को सिफारिशें दी जा सकती थीं।

14. हम जनहित याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं पाते हैं, तथा इसे अस्वीकृत करते है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

पार्थ सारथी, न्यायाधीश: मैं सहमत हूँ।

(पार्थ सारथी, न्यायाधीश)

सुजीत/-

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।